From no 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

........प्रवीन्द्र कोठारी........ बनाम ....जितेन्द्र........

किस्म मुकदमा :- 212 R.T.Act

नंबर ....100.... वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-6-23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग/महंगाई राहत कैम्प-2023 केम्प कोर्ट-सिनोदिया में पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13-5-91 को ग्राम सिनोदिया के ख.न. 32 रकबा 10-04 बीघा भूमि जरिये विक्रय-पत्र के हीरा पुत्र रतना जाति खाती नि०-सिनोदिया से क्रय की थी। क्रय दिनांक से प्रार्थी का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम शिवनगर में ख.न. 32 रकबा 1.6503 हैक्टेयर अंकित है। विक्रित भूमि जरिये सिरासतनामान्तरकरण से अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम अंकित हो जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अत: प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। पेशकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम रेकार्ड में दर्ज है एवं प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम (केम्प-कोर्ट) में सुनाया गया।

08.6.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested